माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष

R-4137-PBR-16

1— श्रीमती पुष्पाबाई बेवा रामलाल उर्फ रामा सिंदडा

2— भूपेन्द्र पिता रामलाल उर्फ रामा सिंदडा

जाति – सिर्वी

निवासी – सिंघाना

तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.) — प्रार्थीगण

विरूद्ध

1— सुनील पिता रामलाल सिंदडा

2— निलेश पिता रामलाल सिंदडा

जाति – सिर्वी,

निवासीगण – सिंघाना तहसील मनावर जिला धार

3— लीलाबाई पति ऊंकार

जाति – सिर्वी

निवासी – जहेडी,

तहसील गंधवानी जिला धार — प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

इसमें प्रार्थीगण श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 431/15–16 में पारित आदेश दिनांक 12/09/2016 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते है कि :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4137–पीबीआर/16 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–8–2017	आवेदकगण की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर प्रकरण आज लिया गया । प्रकरण का अध्ययन किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त के स्थगन आदेश दिनांक 12–9–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7–12–2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया है एवं उक्त स्थगन पेशी दिनांक 4–5–2017 तक बढ़ाया गया है, उसके बाद आवेदकगण की ओर से स्थगन आगे बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः इस निगरानी को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से समाप्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	